तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 07/2016 ई.डी. प्रकाश बनाम मांगीलाल वगै. (1/3) आदेश दिनांक : 17.02.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17.02.2026

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बावत् आदेश की अनुपालना पर बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से दिनांक 06/03/2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 एवं 39 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06/03/2020 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विक्रय इकरार दिनांक 22/08/2014 को उचित मूल्यांकन एवं पंजीकरण हेतु मुद्रांक कलेक्टर, उदयपुर के यहां प्रेषित करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना में वादी द्वारा उक्त दस्तावेज पर कमी मुद्रांक जमा करवाया गया लेकिन उक्त विवादित इकरार का पंजीयन नहीं करवाया गया और न ही कोई पंजीयन शुल्क वसूल किया गया इसलिये न्यायालय के आदेश दिनांक 06/03/2020 की पूर्ण पालना नहीं हो पायी है इसलिए उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अंत में न्यायालय के आदेश दिनांक 06/03/2020 की पूर्ण पालना करवाये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 06/03/2020 की पूर्ण पालना की जा चुकी है। उक्त इकरार पंजीकृत नहीं होने के बावजूद साक्ष्य में ग्राह्य है। कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर ने भी पंजीकरण के संबंध में स्वयं का क्षेत्राधिकार नहीं होना प्रकट किया है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया:-

(1) 2012(2) DNJ (Raj.) 670
Hawa Kanwar & Anr. v Vala Ram & ors.

17.2.2026

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

(2) 2019(1) DNJ (Raj.) 18
Rajendra Singh Shekhawat v Naveen Dadich & ors.

(3) AIR 2023 SC 1895
R. Hemalatha v Kashthuri

(4) 2019(2) DNJ (Raj.) 493
Batti Lal Meena v Manmohan Meena & ors.

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को रुपयों की आवश्यकता होने से वादग्रस्त कृषि भूमियों में निहित अपने 1/4 हिस्से को एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने 1/4 सम्पूर्ण हिस्से को वादी को सात लाख रुपयों में विक्रय करना तय करते हुये दिनांक 22.08.2014 को दो लाख रुपये अग्रिम पेटे नकद प्राप्त किए और इस संबंध में अनुबंध वादी के पक्ष में निष्पादित किया परन्तु उक्त प्रतिवादीगण ने उक्त अनुबंध की अनुपालना में वादी के पक्ष में उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन नहीं कराया तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 11 को विक्रय कर दी। दौराने विचारण प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 35 एवं 39 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2020 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

"प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सवीकार कर उक्त दस्तावेज विक्रय इकरार दिनांकित 22.08.2014 को उचित मूल्यांकन व पंजीकरण हेतु मुद्रांक कलक्टर, उदयपुर के यहां भेजे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। वादी इस दस्तोवज की सत्यापित प्रति प्राप्त कर मूल दस्तावेज को उचित स्टाम्प मूल्यांकन व पंजीकरण हेतु कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर को प्रस्तुत करें।"

उक्त आदेश की अनुपालना में वादी द्वारा तथाकथित विक्रय इकरार दिनांकित 22.08.2014 को कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर को प्रेषित किया गया जिसमें कमी मुद्रांक जमा कर लिया गया और पंजीकरण के संबंध में कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर द्वारा अपने आदेश में यह प्रकट किया गया कि

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

पंजीकरण के संबंध में उसे क्षेत्राधिकार नहीं है। चूंकि हस्तगत वाद भी संविदा की विशिष्ट पालना से संबंधित है और संविदा की विशिष्ट पालना के वाद में यदि कोई दस्तावेज पर्याप्त रूप से स्टाम्पित हो चुका है तो भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के परन्तुक में ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है-

Section 49 of Registration Act - Effect of non-registration of documents required to be registered - No document required by section 17 or by any provision of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), to be registered shall-
(a) affect any immovable property comprised therein, or
(b) confer any power to adopt, or
(c) be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power,
unless it has been registered:

Provided that an unregistered document affecting immovable property and required by this Act or the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), to be registered may be received as evidence of a contract in a suit for specific performance under Chapter II of the Specific Relief Act or as evidence of any collateral transaction not required to be effected by registered instrument.

चूंकि हस्तगत प्रकरण में विक्रय इकरार दिनांकित 22.08.2014 को पर्याप्त रूप से मुद्रांकित हो चुका है तथा कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर ने पंजीकरण बाबत् स्वयं का क्षेत्राधिकार नहीं होना भी स्पष्ट किया है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज इकरार दिनांकित 22.08.2014 को पुनः पंजीकरण हेतु भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 05 व 07 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश की अनुपालना को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 25/2/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

25/2/26 वकुलाए ??? अधि. ने कार्यवाही हेतु
समय चाहा। आवेदन पेश किया।
पत्रावली वास्ते प्र.
(6.3.26)
वास्ते हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

पुकार करवाई। ... P.W. ... में ...
... के ... ... व गवाह को पाबंद किया
जाता है। पत्रावली वास्ते ... दिनांक
18/3/26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

18/3/25 अभिभाषक ... उपस्थित
... ... दोनों
पक्षों ... ... दोनों
पक्षों ... ...
राजीनामा ... ...
... ...
अतः एक ... ...
आज दोनों पक्षों ... ...
पत्रावली दिनांक 25/3/25 को
पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

25/3/26 वकुलाए ... ... वास्ते हेतु समय चाहा। आवेदन
... पेश करे। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 8.4.26
को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्याया...
नाथद्वारा (राजसमन्द)